

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/  
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मार्च 2007---चैत्र 5, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2007

अधिसूचना

फा. क्रमांक 2835/1007/21-ब/07.—राज्य शासन एतद्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के धारा 15 को प्रयोग में लाते हुए निम्न सारणी में दर्शित कॉलम 2 में इस अधिनियम के धारा 14 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालयों के लिए सारणी क्रमांक 3 में कार्यरत सत्र खण्डों के लोक अभियोजक एवं उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अतिरिक्त लोक अभियोजक को तत्काल प्रभाव से अपने मूल कार्य के साथ विशेष न्यायालय में अभियोजन के संचालन हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है.

सारणी

क्र. (1)	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय) का नाम (2)	सत्र खण्ड का नाम (3)
1.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-महासमुंद	महासमुंद
2.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-धमतरी	धमतरी
3.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-रायगढ़	रायगढ़
4.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-जशपुर	जशपुर
5.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा	दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
6.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-उत्तर बस्तर, कांकेर	उत्तर बस्तर, कांकेर

(1)	(2)	(3)
7.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
8.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा
9.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-कोरबा	कोरबा
10.	विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)-कवर्धा (कबीरधाम)	कवर्धा (कबीरधाम)

Raipur, the 26th March 2007

NOTIFICATION

F. No. 2835/1007/XXI-B/07.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Schedule Caste and Schedule Tribe (Prevention of Atrocities Act, 1989) the State Government hereby appoints Public Prosecutor of the Sessions Division shown in column (3) of the following table and in his absence senior most Additional Public Prosecutor as Special Public Prosecutor in addition to their original work, to conduct the prosecution before Special Courts shown in column (2) of the table notified under Section 14 of the Act, with immediate effect.

TABLE

S. No. (1)	Name of the Special Court (2)	Name of the Sessions Division (3)
1.	Special Court (Sessions Division)- Mahasamund	Mahasamund
2.	Special Court (Sessions Division)-Dhamtari	Dhamtari
3.	Special Court (Sessions Division)-Raigarh	Raigarh
4.	Special Court (Sessions Division)-Jashpur	Jashpur
5.	Special Court (Sessions Division)-Dakshin Bastar, Dantewada	Dakshin Bastar, Dantewada
6.	Special Court (Sessions Division)-Uttar Bastar, Kanker	Uttar Bastar, Kanker
7.	Special Court (Sessions Division)-Koriya (Baikunthpur)	Koriya (Baikunthpur)
8.	Special Court (Sessions Division)- Janjgir-Champa	Janjgir-Champa
9.	Special Court (Sessions Division)-Korba	Korba
10.	Special Court (Sessions Division)-Kawardha (Kabirdham)	Kawardha (Kabirdham)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.